बिहार सरकार
स्वास्थ्य निदेशालय
आदेश

आं0सं0–6 / एन0–08–09 / 2019.......... पटना / दिनांक :

कुलसचिव (प्र0), आर्यभट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के पत्रांक–284, दिनांक–22.01.2019 द्वारा राज्य के अन्तर्गत नर्सिंग महाविद्यालय को नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालित करने की स्थापना का आदेश / मान्यता देने के पूर्व विश्वविद्यालय से सहमति प्राप्त करने हेतु महाविद्यालयों को निदेश देने का अनुरोध किया गया।

नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम–4 (ii) के आलोक में राज्य के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में नर्सिंग महाविद्यालय / संस्थान की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान की जाती है, तदोपरान्त विशेषज्ञ समिति से निरीक्षण कराकर नियम–4 (iii) के आलोक में मान्यता प्रदान किया जाता है।

अतएव सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि नर्सिंग महाविद्यालय / संस्थान विश्वविद्यालय से नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालित करने के पूर्व सहमति / अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंगे। इसके उपरान्त नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए मान्यता प्रदान करने पर विचार किया जायेगा।

ह0 / –
(डॉ0 आर0डी0 रंजन)
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना।

ज्ञापांक : 479 (6) पटना दिनांक 3.4.19

प्रतिलिपिः– कुलसचिव (प्र0), आर्यभट ज्ञान विश्वविद्यालय, ज्ञान परिसर, मिठापुर, पटना–800001 को उनके पत्रांक–284, दिनांक–22.01.2019 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को विभागीय बेवसाईट पर आम सूचनार्थ अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28/3/19
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना।